तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों के जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20 01/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र पूर्व में सुनी जा चुकी है। संक्षिप्त में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28क रा. का. अ. पेश कर निवेदन किया था कि प्रार्थी के नाम चक 24KSP तहसील हनुमानगढ़ में प. न. 112/328 (18) कि. न. 6, 11/2/0.127, 12 ता 15 कुल 1.392 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थीगण के नाम इसी चक में प. न. 112/328 (18) कि. न. 3 ता 5, 7, 8 कुल 1.265 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के उत्तर में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है जिसके कि. न. 3 ता 5 में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो इसी मुरब्बा के कि. न. 1 ता 5 में चल रहा है व इसी रास्ता के कि. न. 5 में पत्थर लाइन के साथ प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कि. न. 6 में प्रवेश करता है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि के लिये नहीं है, इस रास्ता को प्रार्थी मंजूर करवाना चाहता है अतः प. न. 112/328 (18) कि. न. 5 में दो बेस्वा रास्ता पत्थर लाईन के साथ स्वीकृत (उत्तर से दक्षिण) किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:03:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना-पत्र दर्ज किया गया। विपक्षान तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल

में लाई गई। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार-

1) प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता चालू नहीं है।

2) प्रार्थी की कृषि भूमि से निकटतम 1 बीघा दूरी पर प.न. 112/328 (18) कि.न. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.038 है. स्वीकृतशुदा रास्ता है।

3) प्रार्थी के आवागमन हेतु प.न. 112/328(18) कि.न. 5 के पूर्व दिशा में 16.5 फीट में बने मौके पर पक्का खाला (रिकार्ड में नहीं) की जगह छोड़कर पूर्व की तरफ उ. से द. जो कि.न. 6 में प्रवेश करें, सुविधाजनक रहेगा

4) रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

5) प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है

प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया-

1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।

2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव।

3) नया मार्ग [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:03:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः तहसीलदार हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार एवं उक्त तीन बिन्दुओं के विवेचन के मध्यनजर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत

धारा 251(क) रा. का. अ. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में चक 24 के.एस.पी. के प.न. 112/328 मु.न. 18 किला न. 5 के पूर्व में उत्तर से दक्षिण (मौके पर बने पक्के खाले को छोड़कर) 16.5 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है जो प्रार्थी को प.न. 112/328 मु.न. 18 कि.न. 1 ता 5 में स्वीकृत शुदा रास्ते से कि.न. 6 में प्रवेश के लिये सुविधाजनक रहेगा। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. की दुगुनी रकम देय होगी जिसकी गणना तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरान्त उ.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावेगा व अप्रार्थीगण द्वारा मांग किये जाने राशि अप्रार्थीगण को लौटाई जायेगी। राजस्व रिकार्ड में अंकन ... रास्ता मौके पर चालू करवाया जायेगा। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:03:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:03:13 IST
Reason: SelfAttested